उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला **आजमगढ**
तहसील **लालगंज** **जारी दिनांक: 15/04/2023**
आवेदन क्र० **231910030067931**
प्रमाणपत्र क्र० **616233003849**

प्रमाणित किया जाता है कि	**शिवम यादव/SHIVAM YADAV**
पुत्र/पुत्री	**सुरेन्द्र यादव**
माता का नाम	**पुष्पा यादव**
निवासी ग्राम	**,ग्राम बेला खास पठान पुर**
तहसील	**लालगंज**
जिला	**आजमगढ**

उत्तर प्रदेश राज्य की **अहीर** जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **शिवम यादव/SHIVAM YADAV** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

Shailendra Kumar Singh

Digitally Signed by Shailendra Kumar Singh
O=Personal, C=IN,CN=Shailendra Kumar Singh, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
लालगंज,आजमगढ
दिनाँक: 15/04/2023

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की लॉग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।